पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस–विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 03 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक–27.03.2023

दिनांक 26/27.03.2023 को रात्रि थाना बीबीडी 01, थाना पीजीआई 01, थाना सआदतगंज 01 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में थाना आशियाना 01, थाना जानकीपुरम 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 03 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 पूर्वी

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

थाना चिनहट–दिनांक 26.03.2023 को उ0नि0 श्री उमेश कुमार सिंह थाना चिनहट द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01–रनवीर कुमार सिंह पुत्र सुजीत कुमार सिंह निवासी–गंगापुर थाना मुसहरी ब्लॉक जनपद मुजफ्फरपुर बिहार को चिनहट तिराहा लखनऊ थाना चिनहट से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक धानी रंग के ट्राली बैग में कुल 70 शीशी अंग्रेजी शराब बरामद कर थाना चिनहट पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

थाना सुशान्तगोल्फ सिटी–दिनांक 27.03.2023 को थाना सुशान्तगोल्फ सिटी द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती प्रीतीलता सिंह पत्नी श्री रामजन्म सिंह निवासी–106, बसेरा 2 सेक्टर 3बी/34 थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ ने थाना सुशान्तगोल्फ सिटी पर सूचना दिया कि दिनांक 20.03.2023 को दोपहर करीब 12.00 बजे जब वादिनी अपने बेटे को लेने स्कूल चली गयी थी तभी पीछे के दरवाजे से एक अज्ञात चोर वादिनी के घर में घुसकर घर में रखे गोदरेज आलमारी का लॉकर तोड़कर छोटे बैग में रखे सोने–चांदी व डायमंड के कीमती जेवरात को चोरी कर लिया गया है। वादिनी जब वापस अपने घर पर आयी तो देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा है और गोदरेज आलमारी का लॉकर खुला मिला। **इस सूचना पर थाना सुशान्तगोल्फ सिटी पर मु0अ0सं0 454/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना इन्दिरानगर–दिनांक 27.03.2023 को थाना इन्दिरानगर द्वारा बताया गया कि वादी श्री अखिलेश कुमार पुत्र स्व0 सालिकराम निवासी–6/562 विकासनगर लखनऊ हालपता–जरहरा रोड शिवसिटी के सामने इंदिरानगर लखनऊ ने थाना इन्दिरानगर पर सूचना दिया कि वादी का नवनिर्मित तीन मंजिला भवन जरहरा रोड शिवसिटी के सामने स्थित है। दिनांक 24/25.03.2023 की रात्रि में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा वादी के उक्त मकान में घुसकर मकान में रखे बक्शे का ताला तोड़कर कुछ घरेलू सामान व मकान में की गयी नयी वायरिंग व कमरे में रखे वायरिंग के तार कीमत करीब 75 हजार को चोरी कर लिया गया है। **इस सूचना पर थाना इन्दिरानगर पर मु0अ0सं0 105/2023 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**